

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक 30/06 /2008

संख्या-2/टी0-45108-1135(2)/

स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सा पदाधिकारी

के अभ्यावेदन के आधार पर निम्नांकित चिकित्सको के नाम के समक्ष स्तम्भ- 5 में अंकित

जिलान्तर्गत स्थानान्तरित करते हुए पदस्थापित किया जाता है :-

क्रमांक	चिकित्सा पदाधिकारी का नाम	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन जिला	नव पदस्थापन जिला
1	2	3	4	5
1	डा० सुनील कुमार सिंह	पटना	सारण	वैशाली
2	डा० रमा बल्लभ सिंह	सीतामढ़ी	सारण	मुजफ्फरपुर
3	डा० मधुसूदन कुमार सिंह	पटना	सारण	वैशाली
4	डा० अखिलेश्वर कुमार	पटना	सारण	नालन्दा
5	डा० चन्द्र देव सिंह	जहानाबाद	सारण	भोजपुर
6	डा० अरविन्द कुमार सिंह	पटना	सारण	नालन्दा
7	डा० रजनीश चौधरी	कटिहार	सारण	पटना
8	डा० उपेन्द्र प्रसाद	सिवान	सारण	गोपालगंज
9	डा० अरुण कुमार	पटना	सारण	गृह (आरक्षी) विभाग
10	डा० हरिशचन्द्र प्रसाद	सिवान	सारण	गोपालगंज
11	डा० शोभा सिन्हा	गोपालगंज	सारण	समस्तीपुर
12	डा० नरेन्द्र पाठक	गोपालगंज	सारण	सीवान
13	डा० जय प्रकाश प्रसाद	गोपालगंज	सारण	सीवान
14	डा० विपिन बिहारी सिन्हा	रोहतास	सारण	सीवान
15	डा० भोला शर्मा	गोपालगंज	सारण	सीवान
16	डा० विजय साह	मधुबनी	सारण	सिवान
17	डा० विधानन्द सिंह	वेगुसराय	सारण	खगड़िया
18	डा० ज्ञानेन्दु शेखर	वैशाली	सारण	मुजफ्फरपुर
19	डा० शशि शेखर प्रसाद सिंह	सिवान	सारण	पटना
20	डा० राजीव कुमार सिंह	भागलपुर	सारण	वैशाली
21	डा० विवेका नन्द झा	दरभंगा	सारण	मधुबनी
22	डा० आनन्द मोहन पाण्डेय	बलिया	सारण	सीतामढ़ी
23	डा० सुधीर कुमार	पटना	सारण	वैशाली
24	डा० ब्रज किशोर चौधरी	पूर्वी चम्पारण	सारण	सीतामढ़ी
25	डा० गिरीन्द्र शेखर सिंह		सारण	वैशाली

सुनील

26	डा0 रामानन्द प्रसाद यादव	गोपालगंज	सारण	सिवान
27	डा0 उमा शंकर लाल	नवादा	सारण	भोजपुर
28	डा0 ब्रजनन्दन कुमार सिन्हा	Vaishali	सारण	समस्तीपुर
29	डा0 मणिराज रंजन	गोपालगंज	सारण	सिवान

- जिन चिकित्सा पदाधिकारियों की सेवाओ जिलो को सौपी गयी है उनका पदस्थापन उस जिला में प्रमण्डलीय आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति करेंगी ।
- सभी स्थानान्तरित चिकित्सक अपने पदस्थापन से सम्बन्धित जिले में योगदान करेंगे । तत्पश्चात् असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी से जिले के अन्तर्गत पदस्थापन के स्थान की अधिसूचना प्राप्त करेंगे और अधिसूचित स्थान पर योगदान करेंगे । अगर चिकित्सक के नाम की स्पेलिंग गलत हो तो असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी स्पेलिंग सुधार हेतु मुख्यालय को पत्र लिखेंगे लेकिन सुधार के लिए प्रतीक्षा न कर अधिसूचित स्थान पर योगदान देने का निर्देश असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सक पदाधिकारी अपने स्तर ही देंगे ।
- निलम्बन/न्यायालय के अन्यथा आदेश की स्थिति से सम्बन्धित चिकित्सा पदाधिकारी पर यह आदेश लागू नहीं होगा ।
- सभी संबंधित नियंत्री पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि स्थानान्तरित चिकित्सा पदाधिकारियों को शीघ्र स्थानान्तरित स्थान पर योगदान करने हेतु निश्चित रूप से विरमित कर देंगे ।
- चूँकि इनका पदस्थापन अभ्यावेदन के आधार पर हो रहा है इसलिए यात्रा भत्ता नहीं देय होगा ।
- संबंधित प्रमंडलीय आयुक्तों से अनुरोध होगा कि पदस्थापन के जिले के अन्तर्गत रिक्तियों पर योग्यता एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पदस्थापन करें ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(प्रमोद कुमार)

सरकार के उप सचिव

पटना, दिनांक 30.06.2008

ज्ञापांक -2/टी0-45108-1135(2)/

प्रतिलिपि - महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ वित्त (वे0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - अधीक्षक, राजकीय प्रेस, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - सचिव, स्वास्थ्य एवं प0क0 विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - सभी संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/ सभी संबंधित क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/ सभी संबंधित सिविल सर्जन/ सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - महानिरीक्षक, अभियोजन, बिहार, पटना/ सभी संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/ सचिव, स्वास्थ्य विभाग के सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/ संयुक्त सचिव के निजी सहायक/ सचिव के निजी सहायक/ विभागीय प्रशाखा पदाधिकारी 2,3 एवं 9/ कम्प्यूटर कोषांग को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव